



**कर्मचारी राज्य बीमा निगम**  
**Employees' State Insurance Corporation**  
 क.रा.बी.नि.  
 E. S. I. C.

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार  
 Ministry of Labour & Employment, Government of India



**मुख्यालय / HEADQUARTERS**  
 पंचदीप भवन, सीआईजी मार्ग, नई दिल्ली-02  
 Panchdeep Bhawan, CIG Marg, New Delhi-02  
 Phone: 011-23215489, VOIP: 10011074  
 Email : med7-hq@esic.gov.in  
 Website: www.esic.gov.in



फाइल क्रं: - A-24011/4/2022-MED-VI (ई46631-)

दिनांक - \_\_.03.2026

## कार्यालय ज्ञापन/ OFFICE MEMORANDUM

**विषय:** पैरामेडिकल संगत समूह 'ख' संवर्गों - मेडिकल रिकॉर्ड अधिकारी, वरिष्ठ तकनीकी सहायक (रेडियोलॉजी), वरिष्ठ तकनीकी सहायक (ईसीजी), व्यावसायिक चिकित्सक, फिजियोथेरेपिस्ट, आहार विशेषज्ञ एवं दंत स्वच्छता विशेषज्ञ के लिए अखिल भारतीय सामान्य मसौदा वरिष्ठता सूचियां जारी करने के संबंध में।

**Subject:** Regarding release of All India Common Draft Seniority Lists for corresponding Paramedical Group 'B' Cadres - Medical Record Officer, Senior Technical Assistant (Radiology), Senior Technical Assistant (ECG), Occupational Therapist, Physiotherapist, Dietician and Dental Hygienist - regarding.

इस कार्यालय द्वारा पैरामेडिकल संगत समूह 'ख' के विभिन्न संवर्गों (Cadres) के लिए अखिल भारतीय सामान्य मसौदा वरिष्ठता सूचियां तैयार की गई हैं। इसमें निम्नलिखित संवर्ग शामिल हैं:

Draft All India Common Seniority Lists for Paramedical cadres in ESIC corresponding to Group 'B' posts in Central Government have been prepared by merger/ consolidation of the regional seniority lists in the respective cadres as on the date of notification of the amended recruitment regulations for these posts consequent upon their re-classification from erstwhile Group 'C' to corresponding Group 'B' cadres. These include the Draft seniority lists of following cadres:

### पदोन्नति माध्यम (Promotion Cadre):

मेडिकल रिकॉर्ड अधिकारी (Medical Record Officer)	Seniority as on 27.11.2020.
वरिष्ठ तकनीकी सहायक (रेडियोलॉजी) [Senior Technical Assistant (Radiology)]	Seniority as on 08.01.2021.
वरिष्ठ तकनीकी सहायक (ECG) [Senior Technical Assistant (ECG)]	Seniority as on 04.12.2020.

**सीधी भर्ती माध्यम (Direct Recruitment Cadre):**

व्यावसायिक चिकित्सक (Occupational Therapist)	Seniority as on 08.01.2021.
फिजियोथेरेपिस्ट (Physiotherapist)	Seniority as on 08.01.2021.
आहार विशेषज्ञ (Dietician)	Seniority as on 04.12.2020.
दंत स्वच्छता विशेषज्ञ (Dental Hygienist)	Seniority as on 11.12.2020.

यह मसौदा सूचियां एतद्वारा क.रा.बी.निगम में इन संवर्गों की वरिष्ठता के संबंध में विभिन्न अदालतों में दायर किए गए मामलों के परिणाम के अधीन, सभी संबंधित कर्मचारियों के बीच सूचना/आपत्तियों/सुझावों हेतु प्रसारित की जाती है।

These draft lists are hereby issued for circulation among all employees concerned for their **information/objections/suggestions**, subject to the outcome of court cases, if any, filed in different courts of law regarding the regional seniority lists of the above respective cadres.

**आपत्तियां दर्ज करने के निर्देश:**

- इस सूची के संबंध में किसी भी प्रकार की त्रुटि, चूक या आपत्ति को केवल संलग्न "कर्मचारी आपत्ति पत्र - प्रोफार्मा" (Employee Objection Sheet) का उपयोग करके ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए। (MS Word फाइल वितरित कर दी गई है, इसे प्रशासनिक/स्थापना शाखा से प्राप्त किया जा सकता है)
- आपत्ति प्रपत्र को ईआरपी (ERP)/सेवा रिकॉर्ड के साथ विधिवत सत्यापित किया जाना चाहिए और सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।
- अभ्यावेदन अपने तत्काल नियंत्रण अधिकारी (Controlling Authority) के माध्यम से इस ज्ञापन के जारी होने की तिथि से "सात दिनों (07 दिनों)" के भीतर "med7-hq@esic.gov.in" पर भेजे जाने चाहिए।
- निर्धारित प्रोफार्मा में जमा नहीं की गई या समय सीमा के बाद प्राप्त हुई आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा, और ऐसी स्थिति में मसौदा वरिष्ठता सूची को अंतिम (FINAL) माना जाएगा।

**Instructions for Filing Objections:**

- Any errors, omissions, or objections regarding the list must be submitted using the attached "Employee Objection Sheet - Proforma" only. (*MS Word file is Circulated, may collect from Administration/Establishment Branch*)
- **The objection sheet must be duly verified as per ERP/ Service records and signed by the Competent Authority.**

- Representations must be routed through the immediate Controlling Authority and sent to "med7-hq@esic.gov.in" within "Seven Days (07 days)" of the date of issue of this memorandum.
- Objections not submitted in the prescribed proforma or received after the deadline will not be entertained, and the draft seniority list shall be treated as FINAL.

सभी संबंधित नियंत्रण अधिकारियों से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि यह सूची इसमें शामिल संबंधित अधिकारियों द्वारा नोट कर ली गई है

All concerned controlling authorities are requested to ensure that the list has been noted by the officials concerned appearing in the list.

यह पत्र सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के उपरांत जारी किया जा रहा है।

This issues with the approval of the competent authority.

भवदीय,

संलग्नक: संशोधित वरिष्ठता सूचियां और आपत्ति प्रपत्र।

उप-निदेशक (चिकित्सा प्रशासन)

प्रतिलिपि प्रेषित / **Copy to:**

- संबंधित कर्मचारियों को उनके संबंधित नियंत्रण अधिकारियों के माध्यम से। Officials concerned through their concerned controlling authorities.
- सभी चिकित्सा आयुक्त / बीमा आयुक्त, क.रा.बी.नि. मुख्यालय (उनके पीपीएस/पीएस के माध्यम से)। All Medical Commissioners / Ins. Commissioners, ESIC Hqrs (through their PPS/PS).
- सभी क्षेत्रीय बीमा आयुक्त / क्षेत्रीय चिकित्सा आयुक्त, क.रा.बी.नि.। All Zonal Insurance Commissioners / Zonal Medical Commissioners, ESIC.
- क.रा.बी.नि. अस्पतालों / मेडिकल कॉलेजों के सभी डीन / चिकित्सा अधीक्षक / उप चिकित्सा अधीक्षक / संयुक्त निदेशक / उप निदेशक (वित्त) / सहायक निदेशक (वित्त) को इस अनुरोध के साथ कि इस ज्ञापन की एक प्रति स्थानीय वेबसाइट और सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करें। All Deans/Medical Superintendents/Deputy Medical Superintendents/Jt. Directors / Dy Directors (Fin) / Assistant Director (Fin) of ESIC Hospitals /

Medical Colleges with the request to place a copy of this memorandum on the local website and Notice Board.

- सभी संबंधित क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय / संयुक्त निदेशक / उप निदेशक (प्रभारी) उप क्षेत्रीय कार्यालय । All concerned Regional Directors, Regional Offices / Joint Directors / Deputy Directors (I/C), Sub Regional Office.
- निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली / निदेशालय (चिकित्सा) नोएडा । Directorate (Medical) Delhi / Directorate (Medical) Noida.
- चिकित्सा शाखा-VI / चिकित्सा शाखा-IV / चिकित्सा विधिक एवं एकीकरण / चिकित्सा सेवा शाखा / चिकित्सा (शिक्षा) शाखा, क.रा.बी.नि. मुख्यालय । Medical Branch-VI/ Medical Branch-IV/ Medical Legal & Integration/ Medical Services Branch/ Medical (Education) Branch, ESIC Hqrs.
- वेबसाइट सामग्री प्रबंधक, क.रा.बी.नि. मुख्यालय (क.रा.बी.नि. की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) । Website Content Manager, ESIC Hqrs. (for uploading on ESIC website).